भारत सरकार,
आयकर आयुक्त कार्यालय,
उदयपुर।

विषयः– आयकर अधिनियम,1961 की धारा–12ए(ए) के अधीन न्यास/संस्था का पंजीकरण –

Wagad Sevo Sansthan Trust
Dharamshala, M.G. Hospital Complex,
Banswara.

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन दिनांक 19-09-2002 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम,1961 की धारा–12ए(ए) के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 22-11-2002 को प्रस्तुत किया है।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में है।

~~यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के ---------- विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था। न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण समुचित होने से इस देरी को माफ की जाता है।~~

~~प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण संतोषजनक समुचित न होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।~~

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम,1961 की धारा–12ए(ए) के प्रावधानो के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 19-09-2002 से प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा–12ए(ए) के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रो के रजिस्टर संख्या 38/3 Vol.II पर दर्ज कर लिया गया हैं।

आयकर आयुक्त,
उदयपुर।

कमांक–आ.आ./उदय/न्याय/12ए(ए)/978 दि: 11-03-2003

1– Wagad Sevo Sansthan Trust,
Dharamshala, M.G. Hospital Complex,
Banswara.

2– JCIT, Chittorgarh Range, Chittorgarh. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेश दिए जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा–11 और 80जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा 12ए(ए) के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला अपने–आप धारा–11 और 80जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता।

आयकर अधिकारी (तकनीक),
कृते– आयकर आयुक्त, उदयपुर।

क्र. 13
दि. 21-3-03